न्यायालय उपजिलाधिकारी लालगंज रायबरेली

वाद सं0:– 15/010–011 | अर्न्तगत धारा 143 ज0वि0अधि0

ग्राम लालूमऊ प0डलमऊ तह0 लालगंज

जिला रायबरेली

डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शान्ति नगर,लालूमऊ,खजूरगॉव द्वारा देवेन्द्र प्रताप सिंह

बनाम

ग्राम सभा

निर्णय

धारा 143 ज0वि0अधि0 के अर्न्तगत यह प्रार्थना पत्र देवेन्द्र प्रताप सिंह प्रबन्धक डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शान्ति नगर,लालूमऊ,खजूरगॉव द्वारा प्रबन्धक देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिवअम्बर सिंह प्रबन्धक राना शिवअम्बर सिंह मेमोरियल एण्ड चेरिटेबिल सोसायटी खजूरगॉव तह0 लालगंज जिला रायबरेली इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम लालूमऊ प0 डलमऊ तह0 लालगंज जिला रायबरेली के खाता सं0 141, 142, 143, 144, 145, 146 व 147 प्रार्थी बतौर संक्रमणीय भूमिधर तनहा दर्ज कागजात हैं व काबिज दाखिल है। गा0सं0 484/0.284, 486/0.107, 487/0.025, 494ख/0.278, 495ख/0.0117, 516/0.253, 517/0.240, 518/0.245, 491/1/ 0.076, 506/1/0.013, 483/0.025, 520/1/0.576, 521/1/0.0188, 493/0.232 व 504/0.209 कुल 15 किता रकबा 2.868 हे0 भूमि पर विद्यालय भवन व खेल का मैदान, है जिसका उपयोग गैर कृषिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत गाटे पर कृषि कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः उपरोक्त गाटों को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की याचना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार लालगंज को जांच हेतु भेजा गया। तहसीलदार लालगंज ने अपनी जांच आख्या दिनांक 31.07.2010 में अवगत कराया है कि ग्राम लालूमऊ प0 डलमऊ तह0 लालगंज जिला रायबरेली की खतौनी सन् 1417–1422 के खाता सं0141,142,143,144,145,146 व 147 डा0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शान्ति नगर,लालूमऊ,खजूरगॉव द्वारा प्रबन्धक देवेनद्र प्रताप सिंह पुत्र शिवअम्बर सिंह निवासी खजूरगॉव प्रबन्धक राना शिवअम्बर सिंह मेमोरियल एण्ड चेरिटेबुल सोसायटी खजूरगॉव तह0 लालगंज जिला रायबरेली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर तन्हा दर्ज कागजात है, व काबिज दाखिल है जिसके गा0सं0 484/0.284, 486/0.107, 487/0.025, 494ख/0.278, 495ख/0.0117, 516/0.253, 517/0.240, 518/0.245, 491/1/0.076, 506/1/0.013, 483/0.025, 520/1/0.576, 521/1/0.0188, 493/0.232 व 504/0.209 कुल 15 किता रकबा 2.868 हे0 भूमि पर विद्यालय भवन व खेल का मैदान है भूमि अकृषिक/व्यवसायिक/औद्योगिक महत्व की है। जिस पर कृषि कार्य किया जाना सम्भव नही है।

मैंने पत्रावली का उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया, पत्रावली पर संलग्न तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 31.07.2010 एवं उद्धरण खतौनी सन् 1417–1422 के अनुसार ग्राम ललूमऊ पर० डलमऊ तह० लालगंज जिला रायबरेली की खाता सं० 141,142,143,144,145,146 व 147 डा० राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शान्ति नगर,ललूमऊ, अजुग्गींव द्वारा प्रबन्धक देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिवअम्बर सिंह प्रबन्धक राना शिवअम्बर सिंह मेमोरियल एण्ड चैरिटेबुल सोसायटी अजुग्गींव तह० लालगंज जिला रायबरेली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सम्बन्ध दर्ज कागजात है एवं कब्जा दाखिल है जिसकी गाटा सं० 484/0.284, 486/0.107, 487/0.025, 494अ/0.278, 495अ/0.0117, 516/0.253, 517/0.240, 518/0.245, 491/1/0.076, 506/1/0.013, 483/0.025, 520/1/0.576, 521/1/0.0166, 493/0.232 व 504/0.209 कुल 15 किता रकबा 2.888 हे० पर विद्यालय भवन व खेल का मैदान है। भूमि अकृषिक/व्यावसायिक/औद्योगिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। खातेदार के प्रार्थना पत्र में धारा 143 ज०वि०अधि० में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गैर कृषिक प्रयोजन हेतु घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम ललूमऊ पर० डलमऊ व तह० लालगंज जिला रायबरेली की खाता सं० 141, 142, 143,144,145,146 व 147 पर अंकित खातेदार डा० राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शान्ति नगर, ललूमऊ, अजुग्गींव द्वारा प्रबन्धक देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिवअम्बर सिंह प्रबन्धक राना शिवअम्बर सिंह मेमोरियल एण्ड चैरिटेबुल सोसायटी अजुग्गींव तह० लालगंज जिला रायबरेली की गाटा सं० 484/0.284,486/0.107, 487/0.025, 494अ/0.278, 495अ/0.0117, 516/0.253, 517/0.240, 518/0.245, 491/1/0.076, 506/1/0.013, 483/0.025, 520/1/0.576, 521/1/0.0166, 493/0.232 व 504/0.209 कुल 15 किता रकबा 2.888 हे० को तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 31.07.2010 के क्रम में गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। भविष्य में यदि भूमि का प्रयोग कृषि के रूप में होना पाया जाये तो ज०वि०अधि० की धारा 144 के अन्तर्गत पुनः कृषि योग्य घोषित करने की कार्यवाही की जाय। तद्नुसार संशोधन अमलदरामद जारी हो। एक प्रति उपनिबन्धक लालगंज रायबरेली को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित हो।

उपजिलाधिकारी

लालगंज–रायबरेली

03–08–2010

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

उप जिलाधिकारी

लालगंज-रायबरेली